

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
(Central Board of Direct Taxes)

No. 68/2015

NOTIFICATION

New Delhi, the 13<sup>th</sup> August, 2015.

S.O.....(E)- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "Kerala Shops and Commercial Establishments Workers' Welfare Fund Board", a Board established under the Kerala Shops and Commercial Establishments Workers' Welfare Fund Act, 2006 (Act 24 of 2006) in respect of the following specified income arising to the Board, namely:-

- (a) amount received in the Fund as established under section 3 of Kerala Shops and Commercial Establishments Workers' Welfare Fund Act, 2006;
- (b) amount of interest income earned on bank deposits.

2. This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2013-2014, 2014-2015 and shall be applicable for the financial years 2015-2016, 2016-2017 and 2017-2018.

3. This notification shall be effective subject to the condition, namely: -

- (a) that the Kerala Shops and Commercial Establishments Workers' Welfare Fund Board does not engage in any commercial activity;
- (b) that the activities and the nature of the specified income of the Kerala Shops and Commercial Establishments Workers' Welfare Fund Board remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) that the Kerala Shops and Commercial Establishments Workers' Welfare Fund Board files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

[F.No.196/18/2014-ITA-I]

*Deepshikha*

DEEPSHIKHA SHARMA

Director to the Government of India

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Mayapuri Press,  
New Delhi.

*14/8*

*Rahar*

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

सं...68.../20015

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त, 2015

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजन के लिए "केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन वर्कर कल्याण निधि बोर्ड", जोकि केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान वर्कर' कल्याण निधि, 2006 (2006 का अधिनियम 24) द्वारा गठित एक बोर्ड है, को बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विशिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-

- (क) केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन वर्कर, कल्याण निधि अधिनियम, 2006 की धारा 3 के तहत गठित निधि में प्राप्त राशि;
- (ख) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज आय की राशि;

2. इस अधिसूचना को वित्त वर्षों 2013-20, 2014-15 के लिए लागू किया गया माना जाएगा और वित्त वर्षों 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए भी लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रभावी होगी; अर्थात:-

- (क) कि केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन वर्कर 'कल्याण निधि बोर्ड' कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करता है;
- (ख) कि केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन वर्कर 'कल्याण निधि बोर्ड' के कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
- (ग) केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन वर्कर, कल्याण निधि बोर्ड अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करती है।

[फा.सं.196/18/2014-आ.का.नि-1]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय,  
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,  
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।